मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXII अंक 01 अप्रैल 2026

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. विनियमन	2-3
III. उत्कर्ष 2029	3
IV. वित्तीय बाजार	3-4
V. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	4
VI. प्रकाशन	4
VII. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण	4

संपादक की कलम से

एमसीआईआर के अप्रैल 2026 अंक में हम, भारतीय रिज़र्व बैंक की नवीनतम नीति-घोषणा को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्षजनित वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच तटस्थ रुख अपनाते हुए रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। इस अंक में, वर्ष 2026–27 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि के 6.9 प्रतिशत और सीपीआई मुद्रास्फीति के 4.6 प्रतिशत के अनुमान के साथ भारत की निरंतर समष्टि-आर्थिक आघातसहनीयता का उल्लेख किया गया है, साथ ही उच्च ऊर्जा मूल्यों और आपूर्ति व्यवधानों से उभरने वाले जोखिमों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने, कारोबार सुगमता बढ़ाने और वित्तीय बाजारों के विस्तार हेतु किए गए प्रमुख विनियामकीय और विकासात्मक उपायों के साथ-साथ आरबीआई की मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा, उत्कर्ष 2029 का प्रस्तुतीकरण भी शामिल है, जिसमें आगामी वर्षों की कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. मौद्रिक नीति

8 अप्रैल 2026 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने भू-राजनीतिक तनावों के बढ़ने, पश्चिम एशिया में संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधानों से उत्पन्न अभूतपूर्व वैश्विक आर्थिक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में 8 अप्रैल 2026 को मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा की। संघर्ष से पहले भारत के समष्टि-आर्थिक मूलतत्व आशातीत संवृद्धि और कम मुद्रास्फीति के साथ स्थिर दिख रहे थे, लेकिन मार्च में संघर्ष-क्षेत्र के विस्तार और तेजी से इसके बढ़ने के साथ स्थितियां प्रतिकूल हो गईं। फिर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे संकटों के पिछले प्रकरणों की तुलना में सुदृढ़ बनी हुई है, जो आघातसहनीयता का द्योतक है। बढ़ती ऊर्जा कीमतों, मुद्रास्फीति आशंकाओं, वित्तीय बाजार अस्थिरता और बढ़ती अनिश्चितता के बीच मुद्राओं के कमजोर होने से वैश्विक संवृद्धि कम होने के जोखिम प्रकट होते हैं।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 6 से 8 अप्रैल तक चली और समिति ने एकमत से, तटस्थ रुख अपनाते हुए, एसडीएफ दर 5.00 प्रतिशत और एमएसएफ तथा बैंक दर 5.50 प्रतिशत के साथ नीति रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय, लक्ष्य से नीचे बनी हुई हेडलाइन मुद्रास्फीति और नियंत्रित मूल मुद्रास्फीति दबावों के बावजूद, बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं तथा ऊर्जा मूल्यों और आपूर्ति में व्यवधानों से उत्पन्न मुद्रास्फीति वृद्धि जोखिमों संबंधी चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है। एमपीसी ने अनिश्चित विकास-मुद्रास्फीति संभावना के अंतर्गत एक सावधानीपूर्ण "प्रतीक्षा और निगरानी" दृष्टिकोण पर जोर दिया।

पश्चिम एशिया संघर्ष से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई माध्यमों से प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिनमें कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कमजोर वैश्विक मांग और वित्तीय गतिविधियों में कमी शामिल हैं। वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 7.6 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए उक्त संवृद्धि दर 6.9 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें संवृद्धि घटने के जोखिम लक्षित होते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, निजी खपत, निवेश मांग, सेवा क्षेत्र की गति, सरकारी बुनियादी ढांचा व्यय और वित्तीय क्षेत्र के संतुलित तुलन-पत्रों जैसे घरेलू विकास चालकों से आर्थिक गतिविधि को बल मिलने की उम्मीद है।

मुद्रास्फीति पर, हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे है, खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर हैं और मूल मुद्रास्फीति संतुलित बनी हुई है। हालांकि, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और संभावित मौसमी जोखिमों जैसे कि अल-नीनो से मुद्रास्फीति बढ़ने के जोखिम उत्पन्न होते हैं। वर्ष 2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि अंतर्निहित मूल्य दबाव नियंत्रित हैं, लेकिन करीबी निगरानी की आवश्यकता है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि और आघात-सह सेवा निर्यात के साथ बाह्य-क्षेत्र की स्थितियां स्थिर बनी हुई हैं, हालांकि व्यापार घाटे और वैश्विक अनिश्चितताएं जोखिम उत्पन्न करती हैं।

चलनिधि संबंधी स्थितियाँ सामान्य बनी हुई हैं और बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने सक्रिय कदम उठाए हैं। पूंजी पर्याप्तता और आस्ति गुणवत्ता सहित वित्तीय क्षेत्र के संकेतक, सुदृढ़ ऋण संवृद्धि के साथ मजबूत बने हुए हैं। कारोबार-सुगमता को बढ़ावा देने, बैंक पूंजी पर्याप्तता को बल देने और मुद्रा बाजार के विस्तार हेतु अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गई। वक्तव्य में, उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करते हुए सतर्कता, आघात-सहनीयता और स्थिरता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन; (ii) पर्यवेक्षण; (iii) भुगतान प्रणालियों; और (iv) वित्तीय बाज़ारों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है:

I. विनियमन

1. जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना में त्रैमासिक लाभों के समावेशन हेतु दिशानिर्देशों की समीक्षा – वाणिज्यिक बैंकों

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को सीआरएआर की गणना में त्रैमासिक निवल लाभों को शामिल करने की अनुमति है, बशर्ते कि पिछले वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों में से किसी भी तिमाही के अंत में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए किए गए वृद्धिशील प्रावधान, उन चारों तिमाहियों के औसत से 25 प्रतिशत से अधिक विचलित न हुए हों। समीक्षा के बाद, इस शर्त को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में संशोधन निदेश का मसौदा शीघ्र ही जन- सामान्य की टिप्पणियों के लिए जारी किए जाएंगे।

2. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफ़आर) संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा

बैंक वर्तमान में अपने निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के सापेक्ष एक अतिरिक्त बफर के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफ़आर) रखते हैं, जो बाज़ार भाव पर दर्शाने (एमटीएम) की आवश्यकताओं के अधीन होता है। वर्तमान में, वाणिज्यिक बैंक (जिनमें स्थानीय क्षेत्र बैंक शामिल हैं, लेकिन लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं) पहले से ही बाज़ार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार का रख- रखाव करते हैं और निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन संबंधी संशोधित नियमों का भी पालन करते हैं। इन लागू विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसे वाणिज्यिक बैंकों के लिए आईएफ़आर की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव है। अन्य बैंक श्रेणियों के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया जा रहा है, ताकि आईएफ़आर पर विनियामक सीमाओं का पालन करने में ऐसे बैंकों को आने वाली परिचालनगत चुनौतियों का समाधान किया जा सके और सभी बैंक श्रेणियों में अनुदेशों में एकरूपता लाई जा सके, जिससे विनियामक स्पष्टता और निरंतरता बढ़ेगी। इस संबंध में निदेश का मसौदा शीघ्र ही जन- सामान्य के परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।

3. बैंकों के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत मामलों की समीक्षा

बैंकों के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामले और उन मामलों की आवधिकता, स्वयं बोर्ड ही निर्धारित करते हैं, जिसके लिए वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सात मुख्य विषयों से मार्गदर्शन लेते हैं। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने कतिपय ऐसी नीतियां और मामले भी अनिवार्य किए हैं जिन्हें बोर्ड के सामने अनुमोदन, समीक्षा या जानकारी के लिए रखा जाना आवश्यक है। बोर्ड अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें, और कार्यनीति तथा जोखिम प्रबंधन पर अधिक केंद्रित व गुणवत्तापूर्ण चर्चा कर सकें, इस उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने ऐसे सभी अनुदेशों की व्यापक समीक्षा की और उन्हें तर्कसंगत बनाने का कार्य किया है। इस संबंध में निदेश का मसौदा शीघ्र ही जन- सामान्य के परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।

II. पर्यवेक्षण

4. पर्यवेक्षी अनुदेशों का समेकन

रिज़र्व बैंक ने अनुदेशों की प्रासंगिकता को निरंतर बनाए रखने हेतु समय-समय पर उनका मूल्यांकन करके अनुपालन लागत को कम करते हुए, अपने विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को बेहतर बनाने और मजबूत करने का लगातार प्रयास किया है। इस प्रयोजन हेतु ही, रिज़र्व बैंक ने 2025 में 'यथास्थिति' के आधार पर विनियामक अनुदेशों के व्यापक समेकन का कार्य किया था। इस कार्य में 9000 से अधिक मौजूदा विनियामक परिपत्रों/ दिशानिर्देशों को 238 कार्य-वार मास्टर निदेशों (एमडी) में समेकित करना शामिल था, जो विनियमित संस्थाओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट थे। अब पर्यवेक्षी अनुदेशों के लिए भी इसी तरह का कार्य किया गया है। तदनुसार, नौ कार्यात्मक क्षेत्रों तक के मौजूदा पर्यवेक्षी अनुदेशों को समेकित करने वाले 64 मास्टर निदेशों के मसौदे आज आरबीआई की वेबसाइट पर जन- सामान्य की टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं।

III. भुगतान प्रणाली

5. व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड्स) में एमएसएमई को शामिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

एमएसएमई के लिए समय पर कार्यशील पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 2014 में व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड्स) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे और बाद में 2018 में उन्हें अद्यतन किया गया। 2023 में बीमा कंपनियों को चौथे प्रतिभागी के रूप में शामिल करते हुए ट्रेड्स के दायरे का और विस्तार किया गया। एमएसएमई के लिए कारोबार करने में सुगमता को बढ़ावा देने और उनकी ट्रेड्स पर अधिकाधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई को सम्मिलित करते समय उनकी उचित जांच-पड़ताल की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव है। अन्य मौजूदा अनुदेशों की भी एक व्यापक समीक्षा की गई है, और शीघ्र ही निदेश का मसौदा जन- सामान्य के परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।

IV. वित्तीय बाज़ार

6. मीयादी मुद्रा बाज़ार का विकास

एक सक्रिय मीयादी मुद्रा बाज़ार, बाजार प्रतिभागियों के लिए वित्तपोषण का एक वैकल्पिक माध्यम प्रदान करने के अलावा, एक दिवसीय मुद्रा बाज़ार और दीर्घकालिक ब्याज दरों के बीच कड़ी बनाकर मौद्रिक नीति के प्रसार को बढ़ावा देने में भी सहायक है। वर्तमान में, कतिपय विवेकपूर्ण सीमाओं के साथ केवल बैंकों और एकल प्राथमिक व्यापारी ही मीयादी मुद्रा बाज़ार में भाग लेने के पात्र हैं। सहभागिता की गहनता और मीयादी मुद्रा बाज़ार खंड में चलनिधि को और बढ़ाने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि (क) मीयादी मुद्रा बाज़ार खंड में प्रतिभागियों के आधार को आवास वित्त कंपनियों, कंपनियों आदि सहित गैर-बैंक प्रतिभागियों, जैसे एआईएफआई, एनबीएफसी आदि को शामिल करके विस्तारित किया जाए; और (ख) एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए मीयादी मुद्रा बाज़ार में उधार लेने की सीमा बढ़ाई जाए। संशोधित निदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

एमपीसी बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की साठवीं बैठक 6 से 8 अप्रैल 2026 के दौरान आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के तहत, रिज़र्व बैंक ने बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त 22 अप्रैल 2026 को, अर्थात एमपीसी की बैठक के चौदहवें दिन प्रकाशित किए। एमपीसी ने स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की, जिसमें सर्वेक्षण परिणामों और हितधारकों के साथ परामर्श से प्राप्त इनपुट शामिल थे। एमपीसी ने संभावना के विभिन्न जोखिमों से जुड़े वैकल्पिक परिदृश्यों की भी समीक्षा की। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और मौद्रिक नीति के रुख पर विस्तृत चर्चा के बाद, एमपीसी ने संकल्प अपनाया। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. विनियमन

आरबीआई ने 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – शाखा प्राधिकरण निदेश' संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा जारी किया, जिस पर एनबीएफसी और अन्य हितधारकों से 27 फरवरी 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई है। इन अनुदेशों के मसौदे में विभिन्न श्रेणियों की एनबीएफसी (एचएफसी सहित) पर लागू, शाखाओं के खोलने संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

2. अनुदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है तथा उसके अनुसार उन्हें संशोधन निदेशों को अंतिम रूप देते समय उसमें उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं। अनुदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया के संबंध में विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी द्वारा शाखाओं के खोलने से संबंधित वर्तमान निदेशों में संशोधन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश, 2026, 15 अप्रैल 2026 को जारी किया है।

III. उत्कर्ष 2029 – भारतीय रिज़र्व बैंक का 2026-29 के लिए मध्यम-अवधि कार्यनीतिक रूपरेखा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2022 में 2023-2025 की अवधि के लिए 'मध्यम-अवधि कार्यनीतिक रूपरेखा' (उत्कर्ष 2.0) अपनाया था, जिसने बैंक को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने में मार्गदर्शन प्रदान किया।

उपर्युक्त के क्रम में और उसके अंतर्गत हुई प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, बैंक ने अब अप्रैल 2026 से मार्च 2029 की अवधि के लिए अपना मध्यम-अवधि कार्यनीतिक रूपरेखा 'उत्कर्ष 2029' तैयार किया है। इस रूपरेखा में छह कार्यनीतिक स्तंभ शामिल हैं, जो एक संक्षिप्त और सारगर्भित विज़न स्टेटमेंट और मूल्यों द्वारा निर्देशित हैं। बैंक की व्यापक कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित करने वाले ये छह कार्यनीतिक स्तंभ निम्नलिखित हैं:

- सुदृढ़ विनियमन
- ग्राहक-केंद्रितता और समावेशी वित्त
- प्रतिस्पर्धी बाज़ार
- प्रभावी प्रौद्योगिकी
- भविष्य के लिए तैयार संगठन

प्रत्येक स्तंभ में व्यापक, भविष्योन्मुखी और मध्यम-अवधि के लक्ष्य शामिल हैं। आरबीआई के नियमित कार्य संबंधित विभागों की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत जारी रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी मध्यम-अवधि की कार्यनीति को अत्यधिक महत्व देता है, और अपने केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति के माध्यम से इसके कार्यान्वयन तथा प्रगति की निगरानी करता है।

इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करना) निदेश, 2025 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) निदेश, 2025 के संबंधित पैराग्राफों को भी उपयुक्त रूप से अद्यतन किया गया है।

4. इन संशोधन निदेशों का उद्देश्य एनबीएफसी को शाखा विस्तार के लिए परिचालनगत सहूलियत प्रदान करना है ताकि विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यापार करने में सुगमता लाई जा सके।

आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और आय निर्धारण संबंधी निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए 7 अक्टूबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और आय निर्धारण) निदेश, 2025 जारी किए थे। निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप, यथोचित संशोधनों को उक्त निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक 27 अप्रैल 2026 को अंतिम निदेश जारी किए। इसके परिणामस्वरूप, 13 संशोधन निदेश और एक निरसन निदेश भी जारी किए गए हैं। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

आरबीआई ने बासेल III - मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत ऋण संबंधी जोखिम हेतु पूंजी प्रभार पर अंतिम निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 7 अक्टूबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक – ऋण संबंधी जोखिम के लिए पूंजी प्रभार - मानकीकृत पद्धति) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया था। निदेशों के मसौदे में ऋण संबंधी जोखिम हेतु पूंजी प्रभार की गणना के लिए मौजूदा मानकीकृत पद्धति ढांचे में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था, जिसका उद्देश्य इसकी सुदृढ़ता, सूक्ष्मता और जोखिम संवेदनशीलता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ अभिसरण को बढ़ाना था।

2. उपर्युक्त मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक द्वारा तय किए गए संशोधनों को निदेशों को अंतिम रूप देते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक - ऋण संबंधी जोखिम के लिए पूंजी प्रभार - मानकीकृत पद्धति) निदेश, 2026 जारी किए हैं। ये निदेश 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे।

यूसीबी क्षेत्र के क्षमता निर्माण हेतु 'मिशन सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण)

रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2026 को 'मिशन सक्षम' का शुभारंभ किया जोकि शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक मिशन-मोड, क्षेत्र-वार और अखिल भारतीय स्तर की क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण पहल है। इसके तहत यूसीबी के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम (व्यक्तिगत रूप से और साथ ही ई-लर्निंग पाठ्यक्रम के माध्यम से) आयोजित किए जाएँगे। इन कार्यक्रमों में लगभग 1.40 लाख प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें बोर्ड सदस्य, वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम, अनुपालन और लेखा-परीक्षा के कार्यों से जुड़े प्रमुख, तथा आईटी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल हैं। प्रशिक्षण सामग्री जहाँ तक संभव हो, क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। इस मिशन की रूपरेखा यूसीबी के छत्र-संगठन और राष्ट्रीय/राज्य सहकारी संघों के परामर्श से तैयार की गई है ताकि प्रबंधकीय और परिचालनगत क्षमताओं का अभिवर्धन, अनुपालन संस्कृति के परिष्करण, संस्थागत आघात-सहनीयता का सुदृढ़ीकरण किया जा सके तथा सतत-अध्ययन के लिए एक ऐसा धारणीय तथा आत्म-निर्भर पारितंत्र स्थापित किया जा सके जिससे प्रणालीगत स्थिरता तथा यूसीबी क्षेत्र की संतुलित संवृद्धि और विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान मिले।

IV. वित्तीय बाज़ार

आरबीआई ने 'प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंकों के लिए रिपोर्टिंग अनुदेश' संबंधी निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 फरवरी 2026 को 'प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए रिपोर्टिंग अनुदेश' संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया था, जिसमें बाजार के प्रतिभागियों, हितधारकों और अन्य इच्छुक पक्षों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। विदेशी मुद्रा बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु,

उक्त निदेशों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने संबंधित पक्षों द्वारा विश्व स्तर पर किए गए भारतीय रुपया से जुड़े विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेन की रिपोर्टिंग भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) की व्यापार रिपॉजिटरी में करें। निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप, यथोचित संशोधनों को निदेशों को अंतिम रूप देते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। रिपोर्टिंग प्रारूपों और अन्य परिचालनगत पहलुओं पर प्राप्त कतिपय प्रतिक्रिया को जांच के लिए सीसीआईएल के साथ साझा किया गया है।

V. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

आरबीआई ने डिजिटल भुगतान-ई-अध्यादेश रूपरेखा 2026 संबंधी समेकित निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल 2026 को डिजिटल भुगतान-ई-अध्यादेश रूपरेखा 2026 संबंधी निदेश जारी किए हैं, इन निदेशों में ई-अध्यादेश संबंधी मौजूदा निदेशों को समेकित किया गया है तथा हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर कतिपय मामूली संशोधन भी शामिल किए गए हैं।

आरबीआई ने पूर्वदत्त भुगतान उपकरण (पीपीआई), 2026 संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया

रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल 2026 को पूर्वदत्त भुगतान उपकरण (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया, जिसे मौजूदा दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा के बाद, पीपीआई) के दीर्घकालिक विकास हेतु अनुकूल ढांचा विकसित करने और लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत किया गया है। विनियमित संस्थाओं तथा जनसाधारण / अन्य हितधारकों द्वारा निदेश के मसौदे पर टिप्पणियाँ/प्रतिक्रियाएँ 22 मई 2026 तक या उससे पहले वेबसाइट पर 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिसके लिए प्रत्येक दस्तावेज के साथ उपलब्ध हाइपरलिंक का उपयोग करना होगा, जो उस पृष्ठ पर उपलब्ध है जहाँ दस्तावेज़ होस्ट किए गए हैं।

VI. प्रकाशन

मौद्रिक नीति रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल 2026 को मौद्रिक नीति रिपोर्ट 2026 जारी की। इस रिपोर्ट में भू-राजनीतिक और मुद्रास्फीति से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद वैश्विक और घरेलू संवृद्धि की सुदृढ़ता पर ज़ोर दिया गया है; भारत की अर्थव्यवस्था को उपभोग, निवेश और मौद्रिक राहत से समर्थन मिला है—हालाँकि बढ़ती ऊर्जा कीमतों, आपूर्ति में रुकावटों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम अभी भी बने हुए हैं, जिसके कारण कीमतों में स्थिरता और संवृद्धि को समर्थन देने पर लगातार ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी हो गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन – अप्रैल 2026

रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2026 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (6 से 8 अप्रैल 2026), दो भाषण, एक आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। वर्तमान सांख्यिकी में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सारणी-19 को नए सीपीआई (आधार 2024 = 100) के अनुरूप बनाया गया है और इसमें मूल-मुद्रास्फीति (अर्थात खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर) के माप संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं।

उक्त आलेख अर्थव्यवस्था की स्थिति पर है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण मार्च में वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर दबाव बढ़ा जो कि अप्रैल के पूर्वार्द्ध में कुछ हद तक कम हुआ। घरेलू आर्थिक गतिविधि कई क्षेत्रों में आघात-सह बनी रही जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में इसमें कमी देखी गई। ईंधन और खाद्य पदार्थों के कारण मार्च में सीपीआई मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई। पश्चिम एशिया में अस्थायी युद्धविराम के बाद मुद्रा बाजार और बॉन्ड प्रतिफल में कमी आई। आयात में कमी और निर्यात में विस्तार से व्यापार-घाटा नौ महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया। विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) का प्रवाह अस्थिर बना रहा, हालांकि फरवरी में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ गया।

बुलेटिन के आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के निजी विचार हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

अप्रैल 2026 के महीने के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आँकड़े और सर्वेक्षण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं	शीर्षक
1	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण के मई 2026 दौर की शुरुआत
2	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के मई 2026 दौर की शुरूआत
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण मई 2026 दौर की शुरुआत
4	त्रैमासिक औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के 114वें दौर की शुरुआत: 2026-27 की चौथी तिमाही
5	त्रैमासिक सेवाएं और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 49वें दौर की शुरुआत – 2026-27 की पहली तिमाही
6	भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग संबंधी तिमाही सर्वेक्षण शुरू किया: जनवरी – मार्च 2026 (73वाँ दौर)
7	दिनांक 15 अप्रैल 2026 तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
8	मार्च 2026 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
9	शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
10	मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण
11	समष्टि-आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण – 99वें दौर के परिणाम
12	ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

श्री ब्रिज राज द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।